राजस्व लोक अदालत केम्प कितपाला तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 101/2018

वादीगण :– 1 चेनाराम, भीखाराम, बाबूलाल पुत्र तुलसाराम, गोमतीदेवी पत्नि तुलसाराम, चम्पा, झमु, सुवा पुत्रियां तुलसाराम जाति मेगवाल निवासी मेकरणा

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
2. हरजीराम दलाराम,शंकरलाल पुत्र खंगाराम मेगवाल निवासी मेकरना 3. सेरा पून्जा पुत्र रावा मेगवाल सिणली जागीर

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः–7.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कितपाला प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम सिणली जागीर के खसरा न0 87, 60, 90 रकबा कमशः 11–11, 38–11, 6–10 बीघा मे वादीगणों के पिता तुलसाराम पुत्र खंगाराराम दर्ज है जबकि इनके पिता का नाम तुलसाराम पुत्र भूपाजी है वक्त खरीद के समय लिपिकीय भूल वंश तुलसाराम पुत्र खंगाराराम दर्ज हुआ ।इसी सम्बन्ध में वादीगणों द्वारा ग्राम मेकरणा के म्यूटेशन संख्या 105 पेश किया जिसमे इनके पिता जी का तुलसा पुत्र भोपा दर्ज है। जो की शुद्व व सही नाम है। अतः अशुद्व नाम तुलासाराम पुत्र खंगाराराम की जगह शुद्व नाम तुलसाराम पुत्र भूपाजी करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, सरंपच ग्राम पंचायत भिमरलाई व मेकराणा की जमाबन्दी प्रतिलिपि व ब्यानकर्ता हरजीराम, दलाराम, शंकरलाल व शेराराम, पूंजाराम के गवाह ब्यान व पटवारी सिणली जागीर/आर.आई तिलवाडा व उपतहसीलदार जसोल की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम सिणली जागीर खसरा न0 87, 60, 90 रकबा कमशः 11–11, 38–11, 6–10 बीघा में वादीगणों के पिता तुलासाराम पुत्र खंगाराराम की जगह शुद्व नाम तुलसाराम पुत्र भूपाजी करने की सिफारिश की है।

अतः वादीगणों का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादीगणों के पिता तुलासाराम पुत्र खंगाराराम की जगह शुद्व नाम तुलसाराम पुत्र भूपाजी नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner